न्यायालय जिला कलेक्टर, दौसा

पीठासीन अधिकारी– देवेन्द्र कुमार
आई0ए0एस0

निगरानी सं0 01/17

1. श्रीमती पुष्पा कंवर पत्नि जसवंत सिंह जाति राजपूत
2. जगदीशप्रसाद शर्मा पुत्र रामचन्द्र शर्मा जाति ब्राह्मण
3. महेशचन्द गुप्ता पुत्र प्रभातीलाल जाति महाजन
4. रतनसिंह पुत्र हरिसिंह जाति राजपूत
5. शिवदानसिंह पुत्र विजयसिंह जाति राजपूत
6. मक्खनलाल मीना पुत्र जी0पी0मीना जाति मीना
7. छीतरमल मीना पुत्र श्रीनारायण जाति मीना

समस्त निवासी कपिल विहार कॉलोनी, आगरा रोड दौसा जिला दौसा

.. प्रार्थीगण

बनाम

1. इंडस टावर लिमिटेड सुभाष मार्ग जी बिजनेस पार्क थर्ड फ्लोर सी स्कीम जयपुर जरिये प्रबंधक।
2. आयुक्त, नगर परिषद दौसा जिला दौसा

निगरानी अंतर्गत धारा 312, 313 व 327, राज0 नगरपालिका अधिनियम 2009 विरूद्ध आदेश आयुक्त, नगर परिषद दौसा दिनांक 6.10.2016

उपस्थिति–1. श्री अविनाश नागर, अधिवक्ता प्रार्थीगण की ओर से।

निर्णय

दिनांक: 14.8.2024

1. संक्षिप्त वृतांत निगरानी अंतर्गत धारा 312, 313 व 327, राज0 नगरपालिका अधिनियम 2009 इस प्रकार है कि नगर परिषद दौसा ने दिनांक 6.10.2016 को जारी अनापत्ति से व्यथित होकर यह निगरानी पेश की गई है।
2. निगरानी दर्ज रजिस्टर की गई। अप्रार्थीगण को तलब किया गया। अधीनस्थ नगर परिषद दौसा का मूल अभिलेख मंगवाया गया।
3. अधिवक्ता निगरानीकार ने निगरानी में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए दलील दी कि नगर परिषद दौसा ने इंडस टावर्स लिमिटेड को सरासर विधि विरूद्ध एक अनुमति (एन.ओ.सी.) जी.बी.ए.टी.वाई. मोबाइल/इंटरनेट ब्रॉडबैण्ड टावर लगाने की प्रदान कर दी जिससे समस्त कॉलोनीवासी भयंकर खतरे में पड गये है और कपिल विहार कॉलोनी आगरा रोड निवासी पचासों व्यक्तियों ने दिनांक 10.11.2016 को भी उपस्थित होकर आपत्ति प्रा.पत्र पेश. किया था तथा अनापत्ति प्रमाण पत्र निरस्त कर मोबाइल टॉवर लगाने से रोकने हेतु प्रार्थना पत्र पेश किया गया था। परन्तु अभी तक कोई कार्यवाही नहीं करने के कारण कपिल विहार कॉलोनी के समस्त वासियों [illegible] से प्रार्थना पत्र/निगरानी पेश की जा रही है। अप्रार्थी नं. 1 मोबाइल टॉवर [illegible] कपिल विहार कॉलोनी के मध्य में आवासीय भवनों के [illegible] उस प्लॉट को जो रास्ता जयपुर आगरा नेशनल हाईवे से आता है वह केवल 11 फीट चौडा है और [illegible] नं0 93 के सहारे पश्चिम को जो रास्ता जाता है वह केवल 20 फीट चौडा है जबकि यह मेन्डेटरी प्रावधान है कि टावर उसी स्थान पर लगाने की इजाजत दी जा सकती है जहॉं

Signature Not Verified
Digitally signed by Devendra Kumar
Date: 2025.09.23 14:10:44 IST
Reason: SelfAttested

Devendra
जिला कलेक्टर, दौसा

आवागमन का रास्ता कम से कम 30 फीट हो। यह प्रावधान इसलिए है कि यदि टॉवर गिर जाये या दुर्घटना हो जाये तो तत्काल सहायता वाहन या दमकल आदि वहॉ पहुंच सके। परन्तु नगर परिषद के आयुक्त ने मेन्डेटरी प्रावधान के खिलाफ अनुमति प्रदान कर कानूनी गलती की है। प्रार्थी नं. 1 का मकान प्लाट नम्बर 93 से सटवा है अगर यह मोबाईल टावर गिर पडे तो प्रार्थी नं. 1 का मकान ही धराशायी नही होगा बल्कि प्रार्थी नं. 1 के समस्त परिजन व अन्य निवासियो का भी जीवन समाप्त हो सकता है क्योकि इस स्थान के आस पास घनी आबादी है। नगर परिषद के रेवेन्यु इंस्पेक्टर ने यह रिपोर्ट कर दी थी कि उपरोक्त विधि के अनुसार स्वीकृति दिया जांना सम्भव नही है फिर भी आयुक्त नगर परिषद दौसा ने रेवेन्यु इंस्पेक्टर की रिपोर्ट की अनदेखी करके गलत आदेश पारित कर दिया जो निरस्तनीय है। मोबाईल टावर दो प्रकार की होती है एक तो जी बी एम कहलाती है जो साधारण छोटी टावर होती है और दूसरी जी बी टी कहलाती है जो भारी भरकम अधिक पावर व उँचाई की होती है जों अनेक संचार व्यवस्था के लिये होती है। अप्रार्थी नं. 1 ने नगर परिषद में जी बी एम स्थापित करने हेतु प्रार्थना पत्र दिया गया था और राज्य सरकार का कोई विभागीय आदेश इस आशय का बता दिया कि जी बी एम हेतु न्यूनतम 30 फीट चौडी सडक की शर्त लागू न किये जाने का निर्णय लिया गया है। परन्तु अप्रार्थी नं. 1 ने नगर परिषद में पुनः यह दरख्वास्त दे दी कि उसे ज़ी बी टी टावर लगाने हेतु एन ओ सी प्रदान की जावे। इस प्रकार जी बी एम टावर स्थापित करने हेतु प्रार्थना पत्र देकर जी बी टी टावर स्थापित करने हेतु गलत आदेश प्राप्त कर लिया जो निरस्तनीय है। आयुक्त नगर परिषद दौसा ने आदेश में धोखादेही के लिये टाईप ऑफ टावर कॉलम में तो जी बी एम. लिख दिया परन्तु आदेश में यह उल्लेख नही किया कि अप्रार्थी तो जी बी टी टावर लगानां चाहता है इसलिए प्रार्थना पत्र निरस्त किया जाता है। नगर परिषद के कनिष्ठ अभियंता ने भी यह आपत्ति कर दी थी कि 30 फ़ीट चौडाई होने की शर्त मे छूट देने का विभागीय पत्र जी बी एम के संबंध में जी बी टी के लिये नही इसलिए जी बी टी हेतु इजाजत नही दी जावे। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने मेनका गांधी के प्रसिद्ध केस में ए आई आर 1978 एस सी 579) द्वारा यह नियम बना दिया गया है कि प्रशासनिक मामले में भी पीडित पक्षकार को सुने बगैर कोई आदेश नही दिया जावे। इसलिए प्लॉट के आस पास निवासियो को नोटिस देकर या मौके पर जाकर सुनवांई का अवसर देना चाहिये था परन्तु उन्हे कोई सुनवाई का असवर न देकर जो आदेश पारित किया है वह न्याय के मूलभूत सिद्वान्तो के विपरीत है व निरस्तनीय है। अप्रार्थी ने धोखादेही की गरज से एक नोटिस किसी ऐसे अखबार व कालम में प्रकाशित कर दिया जो साधारणतः पढा ही नहीं जाता। ये सारी बेजा कार्यवाही तो नगर परिषद के उस राजस्व अधिकारी ने की जिसका स्थानान्तरण हो गया था और आयुक्त नगर परिषद के स्थान पर राजस्व अधिकारी ने ही आदेश पर हस्ताक्षर कर दिये। तत्पश्चात फर्जी कार्यवाही करके आयुक्त नगर परिषद ने उक्त आदेश बनाकर उस पर अपने हस्ताक्षर कर दिये। आवासीय कॉलोनी के मध्य इस छोटे प्लाट में देना जीवन के लिए खतरनाक है व टावर की इजाजत हेजार्डस है। श्रीमान का कर्त्तव्य है कि जनता के जीवन पर गौर [illegible] आदेश के परिपालन पर रोक लगावे।

4. अप्रांर्थीगण के बाद तामील अनुपस्थित रहने से उनके विरूद्व एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई।

5. हमने अधिवक्ता निगरानीकार की एकतरफा बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

6. राज0 नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 312 व 313 के प्रावधान निम्न प्रकार है:—

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

Signature Not Verified
Digitally signed by Devendra Kumar
Date: 2025.09.23 14:10:44 IST
Reason: SelfAttested

Devendra
जिला कलेक्टर,दौसा

312. Powers of suspending execution of order etc. of Municipality. - (1) If, in the opinion of any such officer as may be appointed or authorized by the State Government in this behalf, the execution of any order or resolution of a Municipality or the doing of anything which is about to be done or is being done by or on behalf of a Municipality, is causing or is likely to cause injury or annoyance to the public or a breach of the peace or is unlawful or detrimental to the interest of the Municipality, he may, by order in writing under his signature, suspend the execution or prohibit the doing thereof.

(2) When any such officer makes any order under this Section, he shall forthwith forward to the State Government and to the Municipality affected thereby a copy of the order, with a statement of the reasons for making it, and it shall be in the discretion of the State Government to rescind the order or to direct that it shall continue in force with or without modification, permanently or for such period as it thinks fit:

Provided that no order of such officer passed under this Section shall be confirmed, revised or modified by the State Government without giving the Municipality reasonable opportunity of showing cause against the said order.

313. Extraordinary powers in case of emergency. - (1) In cases of emergency, the District Magistrate may provide for the execution of any work or the doing of any act, which a Municipality is empowered to execute or do and the immediate execution or doing of which is, in his opinion, necessary for the health or safety of the public, and may direct that the expenses of executing the work or doing the act along with a reasonable remuneration to the person appointed to execute or do it, shall be forthwith paid by the Municipality.

(2) If the expense and remuneration are not paid, the District Magistrate may make an order directing any person, who for the time being has custody of any moneys on behalf of the Municipality, to pay such expenses and remuneration from such moneys as he may have in his hands or may from time to time receive and such person shall be bound to obey such order.

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

(3) The provisions of sub-Section (2) of Section 312 shall apply, as far as may be, to any order made under this Section.

327. Power to call for records. - (1) The State Government or any officer authorized in this behalf by the State Government, may, for the purpose of being satisfied as to the correctness, legality or propriety of any order or resolution passed or purporting to have been passed, under this Act by or on behalf of a Municipality, its Chairperson, Vice-Chairperson, any member or officer, call for the relevant record, and may, in doing so, direct that pending the examination of such record, such order or resolution shall be kept in abeyance and no action in furtherance thereof shall be taken until such examination by the State Government or by the officer authorized in this behalf by the State Government and the passing of order under sub-Section (2). (2) On examining the record the State Government or the officer authorized as aforesaid may rescind, reverse or modify such order or resolution and the order of the State Government or the officer authorized as aforesaid shall be final and binding on the Municipality.

8. हमने पत्रावली में संलग्न प्रा[illegible] नियम 11 एवं धारा 151 सी0पी0सी0 का अवलोकन किया गया। जिसमें अप्रा[illegible] इण्[illegible] टावर्स लि. की ओर से न्यायालय सिविल न्यायाधीश (क.ख.) [illegible] किया है कि कंपनी इंडस टावर्स लि0 के द्वारां दिनांक [illegible] मोबाईल टॉवर के निर्माण बाबत ऐग्रीमेंट दिनांकित 14.3.2016 को टर्मिनेट कर दिया ग[illegible] है। वर्तमान परिस्थिति में उक्त मोबाइल टॉवर के साईट के बाबत एग्रीमेंट को टर्मिनेट किये जाने के कारण कंपनी के द्वारा विवादित परिसर में मोबाइल टॉवर का निर्माण नहीं किया जा रहा है। साथ ही पत्रावली

Signature Not Verified
Digitally signed by Devendra Kumar
Date: 2025.09.23 14:10:44 IST
Reason: SelfAttested

Devendra
जिला कलेक्टर, दौसा

में संलग्न नोटिस जो कि अप्रार्थी इंडस टावर्स लि0 की ओर से श्री विजेन्द्रसिंह पुत्र मोहनसिंह निवासी प्लॉट नं0 144, मिल्क डेयरी, कपिल विहार, आगरा रोड दौसा को जारी किया गया है जिसमें भी उक्त एग्रीमेंट को टर्मिनेट किया जा चुका है। अब चूंकि कंपनी इंडस टावर्स लि0 द्वारा एग्रीमेंट को टर्मिनेट किया जा चुका है जिसमें कोई कार्यवाही नहीं होना ज्ञात होता है। हम निगरानी खारिज किये जाने योग्य समझते है।

9 उपरोक्त विवेचन के आधार पर निगरानीकारान द्वारा प्रस्तुत निगरानी खारिज की जाती है। भविष्य में नगर परिषद दौसा स्वायत्त शासन विभाग या राज्य सरकार के संबंधित विभाग द्वारा जारी नियमों के तहत मोबाइल टावर लगाये जाने के संबंध में अनुमति देने के लिए स्वतंत्र होगी एवं यदि उन नियमों की पालना नहीं की जाती है तो प्रार्थीगण उसके विरूद्ध संबंधित नियमों के लिए अनुतोष प्राप्त करने हेतु स्वतंत्र है। अधीनस्थ नगर परिषद दौसा का मूल अभिलेख निर्णय की प्रति के साथ लौटाया जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो। बाद पूर्ति पत्रावली प्रविष्ठ लेख भंडार हो।

Devendra

(देवेन्द्र कुमार)
जिला कलक्टर, दौसा

निर्णय आज दिनांक 14 अगस्त, 2024 को लिखवाया जाकर मेरे हस्ताक्षरित एवं न्यायालय की मुद्रांकित खुले न्यायालय सुनाया गया। इस निर्णय की अपील सक्षम न्यायालय में 30 दिवस के भीतर की जा सकेगी।

Devendra

(देवेन्द्र कुमार)
जिला कलक्टर, दौसा

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

Signature Not Verified

Digitally signed by Devendra Kumar
Date: 2025.09.23 14:10:44 IST
Reason: SelfAttested